FROM No.III

फर्द अहकाम

(नियम 26)

अदालत सहायक कलक्टर (SDO) बायतु **मुकाम** ....

भीयाराम **बनाम** गोरधनराम वगैरह

किस्म मुकदमा रा०का० 88, 188 Rt Act **नं.** 205 **सन** 2019

तारीख हुक्म	हुक्म कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
19.12.19	प्रार्थी/वादी/अपीलांट के वकील श्री खेताराम भादू ने यह प्रार्थना पत्र/वाद/अपील धारा 88, 188 Rt Act राजस्थान काश्तकारी/भू-राजस्व अधिनियम के अन्तर्गत पेश किया है। जो दर्ज रजिस्टर हो। विप्रार्थी/प्रतिवादी/रेस्पोडेंट जरिये नोटिस/सम्मन तलब होकर पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 8/1/20 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	
08/01/2020	वादी वकील उपस्थित। प्रतिवादी संख्या-2 से 6 के सम्मन तामील शुदा प्राप्त जिसे शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी संख्या-2 से 6 बावजूद तामील अनुपस्थित। न्यायालय समय तीन बार आवाज लगाई गई अन्तिम आवाज 5.45 pm पर लगाई गई प्रतिवादी संख्या-2 से 6 स्वयं या उनकी ओर से कोई अधिवक्ता उपस्थित नहीं होने से उनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाती है। प्रतिवादी संख्या-1 की ओर से वकील श्री खेताराम सियाग द्वारा वकालतनामा मय इकबालिया जवाबदावा पेश किया गया तथा वादी वकील द्वारा वादी साक्ष्य के रूप में pw-1- वादी संख्या-1 श्री भीयाराम पुत्र गोरधनराम जाति-जाट निवासी-बागासर पटवार हल्का-चौखला pw-2- मंगाराम पुत्र श्री सोनाराम जाति-जाट निवासी-सियागों की ढाणी तह० बायतु व प्रतिवादी की ओर से प्रतिवादी संख्या-1 स्वयं Dw-1- गोरधनराम पुत्र श्री खेमाराम जाति-जाट निवासी- बागासर प०ह०-चौखला का बयान कलमबद्ध किया गया जिसे शामिल पत्रावली किया गया। बहस पत्रावली दिनांक 25/02/2020 को पेश हो। विवेक व्यास सहायक कलक्टर (SDO) बायतु	अ०नि० भीयाराम द० गोरधन मंगाराम

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vya
Date: 2020.12.04 17:21:05 I
Reason: SelfAttested

25/02/2020

पक्षकारान मार्फत उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्ता बहस फाईनल करना चाहते है। अवसर दिया जावे पत्रावली दिनांक 03/03/2020 को पेश हो।

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

03/03/2020

पक्षकारान मार्फत उपस्थित। दोनों पक्षों के अधिवक्तागणों की बहस सुनी गई पत्रावली व पत्रावली के संलग्न राजस्व रेकर्ड, प्रथम खतोनी का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त भूमि पैतृक साबित होती है। अतः वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर निर्णय अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। डिग्री पर्चा जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार हो दर्ज नम्बरान के कम हो दाखिल दफ्तर हो।

3/3/2020

सहायक कलक्टर
(SDO) बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:21:05 IST
Reason: SelfAttested

नी प्रे पत्र
... प्रमाणित [illegible]
03/03/2020

राजस्थान–सरकार

...यालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बायतु

(पीठासीन अधिकारी विवेक व्यास R.A.S.)

राजस्व वाद संख्या– 205/2019

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भीयाराम पुत्र गोरधनराम 2. रूगाराम पुत्र गोरधनराम 3. हरीराम पुत्र गोरधनराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–चौखला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. गोरधनराम पुत्र खेमाराम 2. दीपाराम पुत्र खेमाराम 3. मुलाराम पुत्र खेमाराम 4. मांगाराम पुत्र सोनाराम 5. धापुदेवी पत्नी सोनाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–बागासर, चौखला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 6. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. कवास

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955.

उपस्थित :– 1. श्री खेताराम जाखड़ वकील वादीगण
2. श्री रिणछाराम सियाग वकील प्रतिवादी

–: निर्णय :– दिनांक 3/3/2020

वादीगण ने यह राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के विरूद्ध प्रतिवादीगण प्रस्तुत कर यह निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 की पैतृक कब्जाशुदा खातेदारी की भूमि मौजा बागासर पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 153, 602/144, 603/145 रकबा क्रमशः 34.01, 00.06, 200.18 बीघा में आई हुई है। वादीगण व प्रतिवादी संख्या 1 एक ही पूर्वज खेमाराम के वंशज है तथा प्रतिवादी संख्या 1 वादीगण के पिता है। वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी तथा सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ व सेटलमेंट से लेकर आज दिन तक वादग्रस्त भूमि पर वादीगण व प्रतिवादी का संयुक्त रूप से कब्जा काश्त है। इस प्रकार वादग्रस्त भूमि वादीगण की पैतृक भूमि है और वादीगण अपने पैतृक भूमि में हिन्दू उतराधिकारी है और हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा है तथा वादीगण अपने हिस्से अनुसार भूमि का बाहामी बंटवाड़ा कर काबिज है। क्योंकि हिन्दू उतराधिकार अधिनियम की धारा 6 के अनुसार हिन्दू पुरूश के पुत्र, पौत्र एवं प्रपौत्र का विधि अनुसार जन्म से ही सहदायिकी अर्थात पैतृक सम्पति में अधिकार प्राप्त हो जाता है। अतः वादग्रस्त भूमि में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है एवं जिस हेतु घोषणा का वाद इस न्यायालय में पेश किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:21:05 IST
Reason: SelfAttested

पक्षकारान् को सुना गया एवं वादीगण द्वारा साक्ष्य शपथ पत्र व स्वतंत्र गवाह पेश गये तथा प्रतिवादी द्वारा उपस्थित होकर, इकबाली जवाब लिखित में पेश कर, वादीगण द्वारा स्तुत वाद पत्र के समस्त पदों को स्वीकार करते हुए, वादग्रस्त भूमि में वादीगण को सहखातेदार घोषित करने की पूर्ण सहमति प्रदान की है।

न्यायालय द्वारा पत्रावली के संलग्न दस्तावेजों का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया गया तथा प्रतिवादी का इकबाली जवाब शामिल पत्रावली कर, वादीगण एवं प्रतिवादी को सुना गया। चूंकि वादग्रस्त भूमि वक्त सेटलमेंट से वादीगण के दादा के कब्जे काश्त की थी एवं सेटलमेन्ट के समय वादीगण के दादा के नाम से पर्चा लगान जारी हुआ था तथा वादीगण खेमाराम के विधिक वारिसान् है तथा हिन्दू उतराधिकार अधिनियम के तहत वादीगण का वादग्रस्त भूमि में पैतृक हिस्सा बनता है व वादग्रस्त समस्त भूमि में वादीगण सहखातेदार घोषित करवाने के अधिकारी है।

अतः वादीगण द्वारा प्रस्तुत किया गया वाद–पत्र स्वीकार कर, अन्तिम डिक्री इस आशय की जारी की जाती है कि मौजा बागासर पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 153, 602/144, 603/145 रकबा क्रमशः 34.01, 00.06, 200.18 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। निर्णय अनुसार डिक्री पर्चा जारी हो। खर्चा पक्षकारान् अपना–अपना वहन करें।

निर्णय आज दिनांक 3.3.2020 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

विवेक व्यास
सहायक कलक्टर (SDO) बायतु

(विवेक व्यास)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:21:05 IST
Reason: SelfAttested

अन्तिम डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर, बायतु

पीठासीन अधिकारी श्री विवेक व्यास R.A.S.

वादीगण	बनाम	प्रतिवादीगण
1. भीयाराम पुत्र गोरधनराम 2. रूगाराम पुत्र गोरधनराम 3. हरीराम पुत्र गोरधनराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–चौखला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर		1. गोरधनराम पुत्र खेमाराम 2. दीपाराम पुत्र खेमाराम 3. मुलाराम पुत्र खेमाराम 4. मांगाराम पुत्र सोनाराम 5. धापुदेवी पत्नी सोनाराम जातियान्–जाट, निवासीयान्–बागासर, चौखला, तहसील–बायतु, जिला–बाड़मेर 6. शाखा प्रबंधक एस.बी.आई. कवास

दावा बाबत 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955

राजस्व वाद संख्या–205/2019. **निर्णय दिनांक :–** 3/3/2020

वादी की ओर से वकील श्री खेताराम जाखड़ की उपस्थिति में इस वाद में आज तारीख 3/3/2020 को न्यायालय में (नाम पीठासीन अधिकारी) विवेक व्यास, सहायक कलक्टर, बायतु के समक्ष अन्तिम निर्णय किया जाता है और डिक्री दी जाती है कि

वादीगण का वाद स्वीकार किया जाकर मौजा बागासर पटवार मण्डल चौखला तहसील बायतु के खेत खसरा नम्बर 153, 602/144, 603/145 रकबा क्रमशः 34.01, 00.06, 200.18 बीघा में वादीगण को प्रतिवादी संख्या 1 के साथ सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बायतु निर्णयानुसार राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करें।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 3.3.2020 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई।

विवेक व्यास

(विवेक व्यास)

सहायक कलक्टर एवं

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

वाद के खर्चे

वादी		प्रतिवादी	
	रुपया		रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शों के लिए स्टाम्प 4. .... रुपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह–व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामिल कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	

Signature Not Verified

Digitally signed by Vivek Vyas
Date: 2020.12.04 17:21:05 IST
Reason: SelfAttested